उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या- 32 /2017/226/92-2-2017-191जॉच/2015
लखनऊ :: दिनांक:: 28 फरवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड-लालगंज में ग्राम पंचायत खरिहट कला में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत 02 गलियों के निर्माण कार्यो में मुख्य प्राविधिक परीक्षक की जॉच आख्या में पायी गयी अनियमितताओं तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति संतोषजनक न पाये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-05/2016/2269/92-2-2016-191जॉच/2015, दिनांक 02.01.2017 द्वारा श्री टी0एन0 राय, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड–मिर्जापुर सम्प्रति पी0आई0यू0-बाराबंकी के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-2266/92-2-2016-191(जॉच)/2015 दिनांक 02.01.2017 द्वारा श्री राय के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र निर्गत किया गया।

2- श्री टी0एन0 राय, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड–मिर्जापुर सम्प्रति पी0आई0यू0-बाराबंकी के पत्र दिनांक 06.02.2017 द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर के स्थान पर अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को एतद्द्वारा जांच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 32 /2017/226(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत अनुशासनिक जांच से संबंधित समस्त अभिलेख पूर्व जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर से प्राप्त कर नियमानुसार जॉच की कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या शासन में शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

3- पूर्व जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि परिवर्तित जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल- लखनऊ को प्रश्नगत अनुशासनिक जॉच से संबंधित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराते हुये शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

4- श्री टी0एन0 राय, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड–मिर्जापुर सम्प्रति पी0आई0यू0-बाराबंकी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

5- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in